हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 सितम्बर, 2010

संख्या, 2/6/96 आर-II.-- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का हरियाणा अधिनियम 24), की धारा 38, 39, 41 तथा 257 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग अधिसूचना संख्या का०आ० 78/ह०अ० 24/1973/धा० 38, 39, 41 तथा 257/2010 दिनांक 7.07.2010, के संदर्भ में हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात् :--

नियम

1. (1) ये नियम हरियाणा नगरपालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती और सेवा शर्ते) नियम, 2010, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा लागूकरण।

(2) ये नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सेवाओं को लागू होंगे।

(3) ये नियम सभी नगरपालिकाओं को लागू होंगे।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, — परिभाषाएँ।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) ;

(ख) "प्रशासकीय सचिव" से अभिप्राय है, वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ;

(ग) "परिशिष्ट" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट ;

(घ) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ;

(ङ) "उपायुक्त" से अभिप्राय है, सम्बन्धित जिला उपायुक्त ;

(च) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा ;

(छ) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ज) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(झ) "संस्था" से अभिप्राय है,-

(i) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ; या

(ii) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ;

(ञ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,-

(i) भारत में किसी राज्य में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय या संस्था ; अथवा

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि-पत्र, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(ट) "धारा" से अभिप्राय है, अधिनियम की कोई धारा ;

(ठ) "सेवा" से अभिप्राय है, राज्य स्तर और जिला स्तर की नगरपरिषद्/नगरपालिका सेवा।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) में दिए गए हैं।

भाग-II

सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी या अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,-

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) जांबिया, मलाबी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग/बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हो, और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष की आयु से कम या चालीस वर्ष की आयु से अधिक का न हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति प्रशासकीय सचिव/निदेशक/उपायुक्त द्वारा की जायेगी।

अर्हताए।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, परिशिष्ट 'ख' के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, यदि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, तो आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हताओं में 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकती है ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

निर्हताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,-

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,- भर्ती का ढंग।

राज्य स्तर के पद

(i) कार्यकारी अभियन्ता की दशा में,-

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 50% नगरपालिका अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा ;

(ii) कार्यकारी अधिकारी की दशा में,-

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 50% सचिव, नगरपरिषद् में से पदोन्नति द्वारा ;

(iii) सचिव, नगरपरिषद् की दशा में,-

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 50% सचिव, नगरपालिका समिति या कार्यालय अधीक्षक (नगरपरिषद्) या कर अधीक्षक (नगरपरिषद्) में से पदोन्नति द्वारा ;

(iv) सचिव, नगरपालिका समिति की दशा में,-

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 50% अधीक्षक (नगरपालिका समिति) या लेखाकार में से पदोन्नति द्वारा ;

(v) नगरपालिका अभियन्ता की दशा में,-

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 50% कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से पदोन्नति द्वारा ;

(vi) सहायक नगर योजनाकार की दशा में,-

(क) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ख) किसी भारत सरकार या अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(vii) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की दशा में,-

(क) 80% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 20% भवन निरीक्षक, प्रारूपकार, भूमि अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा ;

(viii) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) की दशा में,-

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 50% विद्युत निरीक्षक में से पदोन्नति द्वारा ;

(ix) कार्यालय अधीक्षक (नगरपरिषद्) की दशा में,-

(क) सहायक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(x) कर अधीक्षक, (नगरपरिषद्) की दशा में,-

(क) कर अधीक्षक (नगरपालिका समिति) या कर निरीक्षक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(xi) कर अधीक्षक, नगरपालिका (समिति) की दशा में,-

(क) कर निरीक्षक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(xii) लेखाकार की दशा में,-

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 50% लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ;

(xiii) मुख्य सफाई निरीक्षक की दशा में,-

(क) सफाई निरीक्षक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(xiv) मुख्य प्रारूपकार की दशा में,-

(क) प्रारूपकार में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

जिला स्तर के पद

(i) भवन निरीक्षक की दशा में,-

(क) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ii) भूमि अधिकारी की दशा में,-

(क) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(iii) प्रारूपकार की दशा में,-

(क) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(iv) सहायक की दशा में,-

(क) लिपिक/आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(v) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,-

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 50% कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा ;

(vi) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,-

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 50% आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा ;

(vii) चालक की दशा में,-

(क) 80% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 20% सेवादार, चौकीदार, माली-कम-चौकीदार तथा ट्रैक्टर चालक में से पदोन्नति द्वारा

;

(viii) उद्यान पर्यवेक्षक की दशा में,-

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 50% मुख्य माली में से पदोन्नति द्वारा ;

(ix) पुस्तकाध्यक्ष की दशा में,-

(क) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(x) विद्युत निरीक्षक की दशा में,-

(क) 80% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 20% विद्युतकार में से पदोन्नति द्वारा ;

(xi) कर निरीक्षक की दशा में,-

(क) लिपिक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(xii) सफाई निरीक्षक की दशा में,-

(क) 80% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 20% सफाई दरोगा में से पदोन्नति द्वारा ;

(xiii) आशुटंकक की दशा में,-

(क) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(xiv) लिपिक की दशा में,-

(क) 80% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 20% सेवादार/ मुख्य माली/माली-कम-चौकीदार/चौकीदार में से पदोन्नति द्वारा ;

(xv) विद्युतकार की दशा में,-

(क) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(xvi) ट्रैक्टर चालक की दशा में,-

(क) 50% सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ख) 50% सफाई दरोगा/सफाई कर्मचारी में से पदोन्नति द्वारा ;

(xviii) पटवारी की दशा में,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(xix) सेवादार की दशा में,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(xx) मुख्य माली की दशा में,—

(क) माली-कम-चौकीदार में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(xxi) माली-कम-चौकीदार की दशा में,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(xxii) चौकीदार की दशा में,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ख) भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/बोर्ड/निगम की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(3) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, जब भी सेवा में कोई रिक्ति होती है अथवा होनी है, तो नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित करेगा कि ऐसी रिक्ति किस ढंग से भरी जाएगी।

परिवीक्षा। **10.** (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु,—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधिपरिवीक्षा अवधि के रूप में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि के रूप में गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई भी अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसको उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,-

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,-

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो,-

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो,-

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उसके लगातार सेवा-काल के अनुसार निश्चित की जायेगी : ज्येष्ठता।

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी,-

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ,

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ऐसी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर पद पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवा काल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा ;

(2) सेवा में किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,-

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास है ; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा ऐसे सभी मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गये हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जाएँ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा शासित होंगे:

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप तो लगायी जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'घ' में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' तथा 'घ' में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवाएगा जब कभी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसे निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा।

राजनि-ठा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सम्यनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहाँ सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहाँ वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियाँ, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग यां प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी?

निरसन तथा व्यावृत्ति।

20. हरियाणा नगरपालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1982, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन पारित किये गये कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई को इन नियमों के अनुरूप, उपबन्धों के अधीन किये गए आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या स्थाई	अस्थाई	जोड़	अनुरूप वेतन बैंड	अनुरूप ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6	7
			राज्य स्तर के पद			
1.	कार्यकारी अभियन्ता	23	..	23	15600-39100	6000
2.	कार्यकारी अधिकारी	23	..	23	9300-34800	5400
3.	सचिव, (नगरपरिषद्)	23	..	23	9300-34800	4000
4.	सचिव, (नगरपालिका)	51	..		9300-34800	3600
5.	नगरपालिका अभियन्ता	99	..	99	9300-34800	5400
6.	सहायक नगर योजनाकार	23	..	23	9300-34800	5400
7.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	145	..	145	9300-34800	3600
8.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	5	..	5	9300-34800	3600
9	कार्यालय अधीक्षक (नगरपरिषद्)	8	..	8	9300-34800	3600
10.	कर अधीक्षक (नगरपरिषद्)	20	..	20	9300-34800	3600
11.	कर अधीक्षक (नगरपालिका समिति)	5	..	5	9300-34800	3200
12.	लेखाकार	76	..	76	9300-34800	3200
13.	मुख्य सफाई निरीक्षक	20	..	20	9300-34800	3200
14.	मुख्य प्रारूपकार	5	..	5	9300-34800	3200
			जिला स्तर के पद			
1.	भवन निरीक्षक	67	..	67	9300-34800	3200
2.	भूमि अधिकारी	3	..	3	9300-34800	3200
3.	प्रारूपकार	6	..	6	9300-34800	3200
4.	सहायक	24	..	24	9300-34800	3200
5	वरिष्ट वेतनमान आशुलिपिक	4	..	4	9300-34800	3200
6.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	2	..	2	5200-20200	2400
7.	चालक	19	..	19	5200-20200	2400
8.	उधान पर्यवेक्षक	5	..	5	5200-20200	2400
9.	पुस्तकाध्यक्ष	15	..	15	5200-20200	2400
10.	विधुत निरीक्षक	16	..	16	5200-20200	2400
11.	कर निरीक्षक	21	..	21	5200-20200	2400
12.	सफाई निरीक्षक	67	..	67	5200-20200	2400
13.	आशुटंकक	14	..	14	5200-20200	1900
14.	लिपिक	519	..	519	5200-20200	1900
15.	विद्युतकार	9	..	9	5200-20200	1900
16.	ट्रैक्टर चालक	93	..	93	5200-20200	1900
17.	पटवारी	9	..	9	5200-20200	1900
18.	सेवादार	390	..	390	4440-7440	1300
19.	मुख्य माली	10	..	10	4440-7440	1300
20.	मांली-कम-चौकीदार	391	..	391	4440-7440	1300
21	चौकीदार	20	..	20	4440-7440	1300

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
राज्य स्तर के पद			
1	कार्यकारी अभियन्ता	(i) अभियांत्रिकी (सिविल) में डिग्री; (ii) उप-मण्डल अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; (iii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा** (i) अभियांत्रिकी (सिविल) में डिग्री अथवा इसके समकक्ष; (ii) नगरपालिका अभियन्ता (सिविल) के रूप में आठ वर्ष का अनुभव;
2	कार्यकारी अधिकारी	(i) किसी विषय में स्नातकोतर या विधि में स्नातक, अधिमान उनको दिया जायेगा, जिनके पास स्थानीय शासन में उच्चतर अधिकारी पाठ्यक्रम में उपाधि-पत्र हो; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा** सचिव, नगरपरिषद् के पद पर पांच वर्ष का अनुभव ।
3	सचिव, नगरपरिषद्	(i) स्नातकोतर या प्रथम श्रेणी स्नातक, अधिमान उनको दिया जायेगा जिनके पास स्थानीय शासन में उच्चतर अधिकारी पाठ्यक्रम में उपाधिपत्र हो; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा** सचिव, नगरपालिका समिति या कार्यालय अधीक्षक, नगरपरिषद् या कर अधीक्षक, नगरपरिषद् के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;
4	सचिव, नगरपालिका	(i) स्नातक, अधिमान उनको दिया जायेगा जिनके पास स्थानीय शासन में उच्चतर अधिकारी पाठ्यक्रम में उपाधिपत्र हो; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा** कर अधीक्षक (नगरपालिका समिति) या लेखाकार के रूप में तीन वर्ष का अनुभव;
5	नगरपालिका अभियन्ता	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा** सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में दस वर्ष का अनुभव;
6	सहायक नगर योजनाकार	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा तथा नगर आयोजना संस्थान (भारत) का सहयुक्त सदस्य होना चाहिए; या (ii) अभियान्त्रिकी संस्थान (भारत) द्वारा मान्यताप्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या वास्तुकला में डिग्री; तथा अर्हक नगर योजनाकार के अधीन कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए; (iii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा** सहायक नगर योजनाकर के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
7	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सिविल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा** भवन निरीक्षक / भूमि अधिकारी / प्रारूपकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
8	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इलैक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा** विद्युत निरीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।
9	अधीक्षक (नगरपरिषद्)	—	**पदोन्नति द्वारा** सहायक या मुख्य लिपिक तथा वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में दो वर्ष का सहायक के रूप में अनुभव होना अनिवार्य है; या **स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा** अधीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव या सहायक के पद पर सात वर्ष का अनुभव।
10	कर अधीक्षक (नगरपरिषद्)	—	**पदोन्नति द्वारा** नगरपालिका समिति में कर अधीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव या नगरपरिषद् में कर निरीक्षक के रूप में दस वर्ष का अनुभव; या

1	2	3	4
			स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अधीक्षक के पद पर एक वर्ष का अनुभव या सहायक के पद पर सात वर्ष का अनुभव।
11	कर अधीक्षक (नगरपालिका समिति)	—	**पदोन्नति द्वारा** कर निरीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; या **स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा** कर अधीक्षक के पद पर एक वर्ष का अनुभव या सहायक के रूप में सात वर्ष का अनुभव।
12	लेखाकार	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी कॉम या इसके समकक्ष; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा** लिपिक जिसने नगरपालिका लेखाकारों हेतु विहित विभागीय परीक्षा पास की हो।
13	मुख्य सफाई निरीक्षक	—	**पदोन्नति द्वारा** सफाई निरीक्षक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव; या **स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा** मुख्य सफाई निरीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
14	मुख्य प्रारूपकार	—	**पदोन्नति द्वारा** प्रारूपकार के रूप में सात वर्ष का अनुभव; **स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा** मुख्य प्रारूपकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
		जिला स्तरीय पद	
1.	भवन निरीक्षक	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा** भवन निरीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
2.	भूमि अधिकारी	(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा** भूमि अधिकारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
3.	प्रारूपकार	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारूपकार में डिप्लोमा; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	**स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा** प्रारूपकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
4.	सहायक	—	**पदोन्नति द्वारा** लिपिक या आशुटंकक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। आशुटंकक की दशा में लिपिक के पद पर दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए; **स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा** सहायक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा** कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
6.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा** आशुटंकक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
7.	चालक	(i) भारी या हल्का वाहन ड्राइविंग लाइसेंस; (ii) दसवीं या उच्च शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा** भारी या हल्का वाहन ड्राइविंग लाइसेंस सहित सेवादार, चौकीदार, माली-कम-चौकीदार तथा ट्रैक्टर चालक के पद पर पांच वर्ष का अनुभव।